बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषयः—प्रेस एवं फॉर्म्स, गया में रक्षित पुरानी एवं नाकामयाब मशीनों, उपकरणों एवं अन्य रद्दी सामग्रियों की बिक्री के लिए नीलामी प्रक्रिया हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 131झ(छ) के आलोक में Metal Scrap Trade Corporation (MSTC) Limited (भारत सरकार का उपक्रम) को नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में।

प्रेस एवं फॉर्म्स, गया वित्त विभाग के अधीन राजकीय मुद्रणालय के रूप में कार्यरत है । इसकी स्थापना वर्ष 1914 में हुई थी । प्रेस एवं फॉर्म्स, गया में मुद्रण/प्रकाशन तथा प्रपत्रों का वितरण कार्य किया जाता था । मशीनरी के अत्याधुनिक नहीं होने तथा तकनीकी कर्मियों की कमी के कारण प्रेस में मुद्रण एवं प्रकाशन का कार्य बाधित है और प्रेस की अवस्था जीर्ण–शीर्ण दशा में है ।

2. प्रेस एवं फॉर्म्स, गया की अधिकांश मशीनें 50 वर्षों से भी अधिक पुरानी हैं । मुद्रण से संबंधित सभी पुरानी मशीनें यथा–लाईनो मशीन, मोनो ऑपरेटिंग एवं कास्टिंग मशीन तथा अन्य मशीनें लेटर प्रेस तकनीक पर आधारित हैं । वर्तमान में यह तकनीक अप्रचलित हो गई है । मुद्रण तकनीक में परिवर्त्तन के कारण ये मशीनें नाकामयाब हो गई हैं । इन मशीनों के अतिरिक्त प्रेस में काफी मात्रा में अनुपयोगी एवं नाकामयाब उपकरण संरक्षित हैं, जिनका भविष्य में कोई उपयोग नहीं रह गया है ।

3. वित्त विभाग के कार्यालय आदेश सं0–3915 दिनांक–10.04.2024 द्वारा प्रेस एवं फॉर्म्स, गया की पुरानी एवं नाकामयाब मशीनों को कंडम घोषित करने हेतु एक समिति गठित की गई । समिति द्वारा दिनांक–15.04.2024 को प्रेस एवं फॉर्म्स, गया का निरीक्षण के उपरांत पत्रांक–4725 दिनांक–07.05.2024 द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित किया गया । तदालोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–9016 दिनांक–20.08.2024 द्वारा प्रेस एवं फॉर्म्स, गया में रक्षित 93 अप्रचलित पुरानी एवं नाकामयाब मशीनों को निष्प्रयोजित घोषित करते हुए नियमानुसार निस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है ।

4. उपर्युक्त स्थिति में प्रेस की पुरानी एवं नाकामयाब मशीनों, उपकरणों एवं अन्य रद्दी सामिग्रियों को किसी प्रतिष्ठित लोक उपक्रम के द्वारा ई–नीलामी के माध्यम से समिति द्वारा अनुशंसित शर्तों के अधीन विक्रय किया जाना अपेक्षित है ।

5. अतएव प्रेस एवं फॉर्म्स, गया में रक्षित पुरानी एवं नाकामयाब मशीनों, उपकरणों एवं अन्य रद्दी सामग्रियों की बिक्री के लिए नीलामी प्रक्रिया हेतु Metal Scrap Trade Corporation (MSTC) Ltd. (भारत सरकार के उपक्रम) को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम– 131झ(छ) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत किया जाता है ।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक–08.04.2025 की बैठक के मद संख्या–18 में दी गई है ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(मुकेश कुमार लाल)
विशेष सचिव ।

ज्ञापांक–05/प्रेस(नीलामी)–02/2023/4365 वि0 दिनांक–11.04.2025

प्रतिलिपिः– 1. महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय/महालेखाकार (अंकेक्षण) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3. विशेष सचिव(प्रभारी प्रेस शाखा) के आप्त सचिव/ संयुक्त आयुक्त (प्रभारी प्रेस शाखा), वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4. निदेशक, Metal Scrap Trade Corporation (MSTC) Limited (भारत सरकार का उपक्रम) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5. प्रभारी अधीक्षक, प्रेस एवं फॉर्म्स, गया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(मुकेश कुमार लाल)
विशेष सचिव ।